

**राजस्थान विधान सभा**  
**तृतीय सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**गुरुवार, दिनांक, 09 जुलाई, 2009**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनायें**

**(I) वित्त एवं नगरीय विकास विभाग**

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री वित्त एवं नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**वित्त विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(114)वित्त/कर/07-82 दिनांक 29.12.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-83 दिनांक 16.1.2009 जिसके द्वारा जयपुर की सहकारी गृह निर्माण समितियों की कतिपय आवासीय योजनाओं की भूमियों का आवंटन अथवा नियमन कर पट्टा जारी करने की स्थिति में पट्टा विलेख पर कतिपय शर्तों के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क की राशि निर्धारित की गई है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-84 दिनांक 17.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/07-83 दिनांक 16.1.2009 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)वित्त/कर/97-85 दिनांक 19.1.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)वित्त/कर/97-86 दिनांक 19.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-86 दिनांक 25.2.2008 को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.2(26)वित्त/कर/2006-पार्ट-087 दिनांक 23.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007/159 दिनांक 9.3.2007 को दिनांक 1.4.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(37)वित्त/कर/2008-88 दिनांक 23.1.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-98 दिनांक 25.2.2008 को दिनांक 1.4.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(37)वित्त/कर/2008-89 दिनांक 30.1.2009 जिसके द्वारा राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हेल्थ सैस रूल्स, 2008 में संशोधन किया गया है ;

- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2003-90 दिनांक 12.2.2009 जिसके द्वारा मुद्रांक व पंजीयन की एमनेस्टी स्कीम जारी की गई है ;
- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(85)वित्त/कर/07-91 दिनांक 12.2.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(85)वित्त/कर/07-58 दिनांक 29.8.2008 में संशोधन किया गया है ;
11. अधिसूचना संख्या : एफ.12(94)वित्त/कर/07-92 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा विदेशी मदिरा आईएमएफएल एण्ड बियर पर वैट 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या : एफ.12(94)वित्त/कर/07-93 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है ;
13. अधिसूचना संख्या : एफ.24(2)वित्त/कर/09-94 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा स्लमडॉंग करोडपति फिल्म को एक वर्ष के लिये कर मुक्त किया गया है ;
14. अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/03-95 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2003-90 दिनांक 12.2.2009 में संशोधन किया गया है ;
15. अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/2006-96 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-142 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
16. अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/09-97 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 7(2) के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को सशर्त एक वर्ष के लिये कर मुक्त किया गया है ;
17. अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/09-98 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
18. अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)वित्त/कर/09-99 दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
19. अधिसूचना संख्या : एफ.2(21)वित्त/कर/2000-100 दिनांक 02.3.2009 जिसके द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग/एजेन्सी से सम्बद्ध स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से किये गये परस्पर निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है ;
20. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-01 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है ;
21. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा बी.एस.एफ. कैन्टीन को की गई बिक्री को कर मुक्त किया गया है ;

22. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-03 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत बी.एस.एफ. कैन्टीन द्वारा अपने बल के सदस्यों को किया गया विक्रय सशर्त कर मुक्त किया गया है ; एवं
23. अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)वित्त/कर/2009-04 दिनांक 23.6.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/कर/2001-129 दिनांक 13.2.2007 में संशोधन किया गया है ।

### नगरीय विकास विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.9(63)यूडीएच/03/81 दिनांक 29.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान इम्पूमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) (अमेन्डमेन्ट) नियम, 2009 विरचित किये गये हैं ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(9)यूडीडी/II/09 दिनांक 25.6.2009 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सामान्य शर्तें एवं दशा) नियम, 2009 विरचित किये गये हैं ।

### (II) ऊर्जा विभाग

श्री जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : राविविआ./सचिव/रेगु/75 दिनांक 9.1.2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं ;
- 2- अधिसूचना संख्या : राविविआ./सचिव/विनि/76 दिनांक 13.1.2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं ।

### (III) आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 27.2.2009 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को दिनांक 1.4.2009 से राजस्थान एक्सार्ज रूल्स, 1956 के नियम-69 (बी) के अन्तर्गत देय फीस में छूट प्रदान की गई है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 1.4.2009 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 1.4.2009 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेन्स) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आब/2009-पार्ट-III दिनांक 1.4.2009 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेन्ट, बार लाईसेन्स) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ।

**(IV) राजस्व विभाग**

श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2005/पार्ट/3 दिनांक 30.1.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक :एफ.5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20 जुलाई, 1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.5(1)रेव-6/2001/6 दिनांक 20.5.2009 जिसके द्वारा नियम-24-डीडीडीडी में फ्रेगमेन्ट की अवधि दिनांक 31.3.2010 तक बढ़ाई गई है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)रेव-6/92-पार्ट/7 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 20007 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(24)रेव-6/2001/पार्ट/8 दिनांक 25.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)रेव-6/2000/9 दिनांक 2.6.2009 जिसके द्वारा श्री रोहित कुमार सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को अनुसूचति क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये साहूकार महापंजीयक नियुक्त किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(9)रेव-6/96-पार्ट/10 दिनांक 2.6.2009 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास प्रन्यास तथा म्युनिसिपल निकाय की शहरी योग्य सीमा में स्थित सरकारी भूमियाँ कीमतन जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास प्रन्यास तथा म्युनिसिपल निकाय को स्थानान्तरित की गई है ।
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2005/पार्ट/11 दिनांक 2.6.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या : 5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(229)राज-6/2007/12 दिनांक 10.6.2009 जिसके द्वारा तहसीलदारों की शक्तियाँ अतिरिक्त तहसीलदारों को प्रदान की गई है ;
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(217)रेव-6/2008/13 दिनांक 11.6.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2005/14 दिनांक 11.6.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या : 5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या : एफ.9(32)रेव-6/2009/15 दिनांक 24.6.2009 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 12- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)रेव-6/2008-पार्ट/16 दिनांक 24.6.2009 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या : 5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

**(V) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(20)एमेन्ड/रूल्स/लीगल/पीआर/2009/1393 दिनांक 21.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(21)एसईसी/लॉ/रूल/एमेन्ड/पीआरडी/08/1796 दिनांक 2.7.2009 जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ।

**(VI) परिवहन विभाग**

श्री बृजकिशोर शर्मा, यातायात मंत्री परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या : 6(96)परि/कर/मु/उर्स दिनांक 19.6.2009 जिसके द्वारा अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाली समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रुपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

**(ख) प्रतिवेदन एवं लेखे**

(1) श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 57वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) श्री हरजीराम बुरडक, कृषि मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा -619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 37वां एवं 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं वर्ष 2006-2007 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखेंगे ।

(5) डॉ० जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा -619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008 ;
- II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा -619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2007-2008 ;
- III- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा -619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ;
- IV- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा -619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2007-2008 ; एवं
- V- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2002-2003 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी ।

(6) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा -619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2007-2008 ; एवं
- II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

(7) श्री रामलाल जाट, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

### 3. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

#### प्रथम अवस्था

#### सामान्य वाद-विवाद

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 पर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

एच.आर.कुडी  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 08 जुलाई, 2009